रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240479 CG-DL-E-23112022-240479

#### असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5186] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/अग्रहायण 1, 1944 No. 5186]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/AGRAHAYANA 1, 1944

#### पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

का.आ. 5414(अ).—जबिक भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि असम राज्य में नार्थ-इस्ट नेचरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के गुवाहाटी–शिलांग-सिलचर-पानीसागर खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता हे कि उस भूमि में, जिसमे उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए:

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, उस भिम में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है:

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची मे वर्णित भूमि में हितबदध है, उस तारिख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र मे यथा प्रकाशित इस अधिसुचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने की संबंध मे, सक्षम प्राधिकारी, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, असम राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

7745 GI/2022 (1)

## अनुसूची

	जिला : कामरू	प (मेट्रो)	राज्य : असम				
	सर्कल	तहसील	गाँव//मौज़ा	दाग नं	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
	1	2	3	4	5	6	7
	चंदरपुर	चंदरपुर	मीचमारी N.C.	102	00	06	69
_				104	02	00	00

[फा. सं. एल -14014/220/2022- जीपी-II(ई-44796)]

राकेश मिश्रा. अवर सचिव

# MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2022

**S.O. 5414(E).**—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Guwahati – Shillong – Silchar-Panisagar Section of North - East Natural Gas Pipeline Grid Project in the State of Assam, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State of Assam.

SCHEDULE											
District:- Kar	nrup (M)		State :- Assam								
Circle	Tahsil	Name of the Village/ Mouza	Survey No.	Area							
				Hectare	Are	Sq.mtr.					
1	2	3	4	5	6	7					
Chandrapur	Chandrapur	Michamari N.C.	102	00	06	69					
_	_		104	02	00	00					

[F. No. L-14014/220/2022-GP-II (E-44796)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.